समाहरणालय, दरभंगा

(जिला पंचायत कार्यालय)

जिलाधिकारी, दरभंगा की अध्यक्षता में दिनांक 04.11.2016 को आयोजित सरकार के 7 निश्चय योजना के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना से संबंधित बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थितिः पंजी के अनुसार।

2. कार्यवाही

2.1 मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना

- हाल ही में 3 ओ0डी0एफ0 हुये पंचायतों यथा–दिघियार, हरहच्चा एवं नवानगर नरमा पंचायतों में सर्वप्रथम यह योजना चलायी जायेगी। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर समिति के गठन का आदेश जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा निर्गत करेंगे। इसके उपरान्त अन्य प्रखण्डों के पंचायतों में यह योजना चलायी जायेगी।
- पंचायत में पेयजल आपूर्ति का सर्वेक्षण करना है। सर्वेक्षण के लिए टीम का गठन करना है तथा गठित टीम को सर्वेक्षण हेतु प्रपत्र उपलब्ध कराना है। सर्वेक्षण दल में पंचायत सचिव/राजस्व कर्मचारी/पंचायत रोजगार सेवक/ग्रामीण आवास सहायक/प्रखण्ड समन्वयक/मनरेगा, विद्युत विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कनीय अभियंता/संबंधित मुखियाजी/वार्ड सदस्य रहेंगे। निदेशक, लेखा प्रशासन को उपरोक्त कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि टीम का गठन करते हुए आज ही अपराह्न 04.00 बजे गठित टीम को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में आवश्यक प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करें। सर्वेक्षण हेतु दिनांक 05.11.2016 की तिथि निर्धारित की गयी एवं उसी दिन संध्या में गठित सर्वेक्षण टीम अपना सर्वेक्षण प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।
- संबंधित पंचायतों की मुखिया वार्ड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बहुलता के आधार पर वार्डों के प्राथमिकता का निर्धारण करें कि एवं उन वार्डों में वार्ड विकास समिति का गठन करेंगे।
- पंचायत स्तर पर लोक निर्माण समिति का गठन संबंधित पंचायत के मुखिया करावेंगे।
- अभी हाल ही में वार्डवार पारिवारिक सर्वेक्षण हुआ है, सर्वेक्षण के दौरान उसे ही आधार बनाया जाय।
- इस योजना के तहत प्रत्येक घर को 70 लीटर पानी प्रतिदिन दिया जाना है। इसके हिसाब से वार्डवार पानी की आवश्यकता का आकलन सर्वेक्षण के दौरान करना है।
- सर्वेक्षण के दौरान वार्ड में सबमरसेबुल मोटर एवं पानी की टंकी, पाईप लाईन आदि बिछाने हेतु स्थल चिन्हित करना है एवं सर्वेक्षण दल में मौजूद लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कनीय अभियंता इसका प्राक्कलन तैयार कर दिनांक 05.11.2016 की संध्या तक समर्पित करेंगे। चयनित स्थल पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के संबंध में सर्वेक्षण टीम में मौजूद विद्युत विभाग के कनीय अभियंता प्राक्कलन तैयार कर समर्पित करेंगे। संबंधित अंचल अधिकारी जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करायेंगे।
- यदि किसी वार्ड में विद्युत की उपलब्धता नहीं है तो वहाँ ट्रांसफॉर्मर स्थापित करने के लिए भूमि चिन्हित करना होगा एवं ट्रांसफॉर्मर अधिष्ठापन के लिए भी आवश्यक प्राक्कलन समर्पित करना होगा

- विद्युत कनेक्शन संबंधित वार्ड विकास समिति के नाम पर दिया जाना है एवं प्राप्त विद्युत विपत्र का भुगतान संबंधित वार्ड विकास समिति द्वारा अपने क्षेत्र के लाभुक परिवारों से विद्युत विपत्र की राशि के अनुरूप समान रूप से राशि की वसूली कर किया जायेगा।
- जिला स्तर पर तकनीकी कर्मियों का पैनल तैयार किया जाना है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी इसके लिए विज्ञापन प्रकाशित करवा कर आवेदन प्राप्त करें ताकि आवश्यकतानुसार ऐसे कर्मियों का नियोजन किया जा सके।
- सर्वेक्षित परिवारों के अनुमोदन के लिए ग्रामसभा का आयोजन संबंधित मुखिया करावें।
- योजना के कार्यान्वयन में वार्ड विकास समिति का बैंक खाता खुलवाने की कार्रवाई संबंधित पंचायत के मुखिया सुनिश्चित करावें। योजना की प्रशासनिक स्वीकृति संबंधित पंचायत के मुखिया द्वारा दी गई एवं राशि तथा कार्यान्वयन आदेश वार्ड विकास समिति को निर्गत करना होगा।
- सामग्रियों की आपूर्तिकर्त्ताओं को चिन्हित करने का निदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त वार्डवार मिस्त्री आदि को चिन्हित कर उन्हें प्रशिक्षण दिए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।
- कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, दरभंगा को निदेशित किया गया कि वे जिन 48 पंचायतों में कार्य करेंगे उसकी सूची अविलम्ब उपलब्ध करवा दें।

2.2 मुख्यमंत्री गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना

- इस योजना के तहत भी उपरोक्त विधि से सर्वेक्षण कार्य करने एवं वार्ड में कितनी गली एवं नाली है, जिसमें कितनी पक्की एवं कितनी कच्ची है। जहां केवल पक्की सड़क है वहां नाली बनवाना है। वार्डवार नाला के निकास के लिए यदि व्यवस्था नहीं है तो नाला के अंतिम छोड़ पर सोख्ता का निर्माण करवाया जा सकता है।
- इस सर्वेक्षण कार्य में ग्रामीण कार्य विभाग के कनीय अभियंताओं का सहयोग लेने का निदेश दिया गया।
- मुखियाजी द्वारा इस योजना के लिए जिन वार्डों को चिन्हित किया जा वहा है वहां प्राथमिकता के आधार पर सर्वेक्षण करवाना है।
- इस सर्वेक्षण कार्य को भी दिनांक 05.11.2016 को करवाने एवं संध्या तक सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
- मुखियाजी अपने पंचायत सचिव से परामर्श कर योजना का नाम आदि निश्चित कर लें एवं चयनित वार्ड में वार्ड सभा आयोजित करें तथा इस सभा में ही वार्ड विकास समिति का गठन कर लें एवं योजनाओं की स्वीकृति भी प्राप्त कर लें।
- उपरोक्त दोनों योजनाओं का पंचायत स्तर पर बैंक खाता खोला जाना है। उप विकास आयुक्त सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से खाता खोले जाने का प्रतिवेदन प्राप्त कर विभाग को भेज दें।

धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

जिलाधिकारी,
दरभंगा।

ज्ञापांक 1816 / पंचायत, लहेरियासराय, दिनांक 05 नवम्बर 2016.

प्रतिलिपि संबंधित पंचायतों के मुखियाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभारी आई0टी0 प्रबंधक, दरभंगा को जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अनुमंडल पदाधिकारी, सदर/बेनीपुर/बिरौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, दरभंगा/निदेशक लेखा प्रशासन, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
दरभंगा।